प्रधानमंत्री एवं भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

झुंझुनू, 15 नवम्बर : जिला उधोग केन्द्र के महाप्रबन्धक सीताराम पूनिया ने बताया कि युवा विकास अभियान 11 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान भारत सरकार की प्रधानमंत्राी रोजगार सृजन योजना में आवेदन किया जा सकता हैं, आवेदन किसी भी ई–मित्रा पर जाकर वांछित दस्तावेज अपलोड कराकर आवेदन ऑनलाईन किया जा सकता है। इस योजनान्तर्गत निर्माण क्षेत्रा में अधिकतम 25 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट तथा सेवा क्षेत्रा में अधिकतम 10 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट के लिये ही आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रोजेक्ट पर ग्रामीण क्षेत्राों में भारत सरकार की तरफ से अधिकतम 35ः अनुदान तथा शहरी क्षेत्रा में अधिकतम 25 तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना में भी ऋण आवेदन किये जा सकते हैं । भामाशाह रोजगार सृजन योजना में निर्माण, सेवा एवं व्यापार आदि समस्त गतिविधियों के लिए ऋण आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना में राजस्थान सरकार की तरफ से 8ः ब्याज अनुदान दिया जायेगा, एवं ऋण के इच्छुक उद्यमी अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें । भामाशाह रोजगार सृजन योजना के ऋण आवेदकों का साक्षात्कार 20 नवम्बर को जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में रखा गया है तथा प्रधानमंत्राी रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के आवेदन पत्राों का अनुमोदन 27 नवम्बर की बैठक में किया जावेगा उन्होंने इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावें।